संख्या[1] 26/2020/966/46-1-20-1000(17)/2019टी.सी.

प्रेषक,

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत चीनी आयुक्त का अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-38/लेखा-बजट/2020-21, दिनांक 09 जुलाई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2[2] इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत चीनी आयुक्त का अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू.1716.20 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या: 17/2020/560/46-1-20-1000(17)/2019टी.सी., दिनांक 15.04.2020 द्वारा निर्गत कुल धनराशि रू.1612.25 लाख के पश्चात अवशेष कुल धनराशि रू.103.95 लाख के सापेक्ष विभिन्न मदों हेतु कुल **धनराशि रू.77.962 लाख (रूपये सतहत्तर लाख छियानबे हजार दो सौ मात्र)** का निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न मानक मद	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति
1	04-यात्रा व्यय	10.00	7.500
2	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	1.500
3	07-मानदेय	0.20	0.150
4	08-कार्यालय व्यय	8.00	6.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

5	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	4.00	3.000
6	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	4.500
7	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	0.750
8	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	50.00	37.500
9	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.225
10	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.075
11	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	8.00	6.000
12	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7.00	5.250
13	49-चिकित्सा व्यय	7.25	5.437
14	51-वर्दी व्यय	0.10	0.075
	योग-	103.95	77.962

(रूपये सतहत्तर लाख छियानबे हजार दो सौ मात्र)

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान" के उपर्युक्त उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या: 26/2020/966(1)/46-1-20-1000(17)/2019टी.सी. तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. वित्तय नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है